

राष्ट्रीय श्रम आयुक्त की सिफारिशों

427. श्री लाल अदवाणी :

श्री सुन्दर सिंह भंडारी :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय श्रम आयुक्त की किन्-किन सिफारिशों को सांविधिक रूप दिया जा चुका है और शेष सिफारिशों को कब तक ऐसा रूप दिये जाने की संभावना है ?

NATIONAL LABOUR COMMISSION'S RECOMMENDATIONS

427. SHRI LAL K. ADVANI : SHRI SUNDAR SINGH
BHANDARI : SHRI J. P.
YADAV : SHRI N. K.
SHEJWALKAR :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/श्रम और पुनर्वासि मंत्री be pleased to state the recommendations of the National Labour Commission which have been given statutory form and by when the remaining are likely to be given such form ?]

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : आयोग की ठेका श्रम सम्बन्धी सिफारिशों की पहले ही सांविधिक रूप दिया जा चुका है। जहाँ तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि वैधानिक कार्य, जब आवश्यक समझा जायगा, कब तक पूरा होगा।

i[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (SHRI BALGOVIND VERMA): The Commission's recommendations relating to contract labour have already been given statutory form. As for other recommendations, it is not possible to indicate, at this stage, the time by which legislative action, when found due, will be completed.]

कोयला खनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

*428. श्री राम सहाय : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनिकों के लिये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति के विनिष्ट सुझाव क्या हैं ?

[MEDICAL FACILITIES FOR COAL MINERS

*428. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/श्रम और पुनर्वासि मंत्री be pleased to state :

(a) whether the report of the expert committee which was appointed to give suggestions in regard to the medical facilities to be provided to the coal miners has been received; and

(b) if so, what are the specific suggestion of the committee in this regard ?]

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कोयला खनिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

i[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में उप मंत्री (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) No Expert Committee was appointed by Government to give suggestions in regard to the medical facilities to be provided to the coal miners.

(b) Does not arise in view of reply to part (a) of the question.]